न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, हरदोई।

विशेष परिवाद सं० 68/2018

मीना देवी बनाम सरोज आदि

दि० 27-01-2020

पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

परिवादिनी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण सरोज आदि को तलब कर विचारणोपरान्त दण्डित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है।

परिवादिनी द्वारा प्रार्थनापत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि दिनांक 22-8-2017 को समय करीब 8.30 बजे शाम प्रार्थिनी अपने घर पर अकेली थी तब विपक्षीगण दरवाजे पर आये। प्रार्थिनी ने दराजा खोला तो विपक्षीगण जबरन घर में घुस आये और जातिसूचक शब्दों से अमानित करते हुए तमंचे के बल पर कमरे में घसीट कर जान माल की धमकी देकर प्रार्थिनी के साथ बुरा काम किया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र में विपक्षीगण द्वारा उसके साथ जबरन बारी-बारी से बुरा काम किया जाना कहा है, परन्तु परिवादिनी के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में कथन किया गया कि विपक्षीगण उसके घर में आयी और उससे पूछा कि उसके पति कहा है उसने बताया कि पति खेत पर है तब चारों लोग उसके घर के अंदर घुस गये विनोद ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे छाती पर हाथ चला दिया। सरोज ने मेरी धोती खींचकर मुझे नंगा कर दिया जब मैं चिल्लाई तो मेरे पड़ोस के सर्वजीत व रामासरे आ गये थे। इस प्रकार परिवादिनी के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में विपक्षीगण द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जाना नहीं कहा गया है।

परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत साक्षी रामासरे ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० में कथन किया कि विपक्षीगण रात 8 बजे मीना देवी के घर में घुसे थे। मीना देवी ने शोर मचाया था और काफी लोग इकटठा हो गये थे तब यह लोग जातिसूचक चमरिया की गाली देते हुए भाग गये थे, परन्तु परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू० 2 सर्वजीत ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० में यह कथन किया कि विपक्षीगण मीना के घर में घुस गये और सभी लोगों ने मीना के साथ बुरा काम किया। मैंने बुरा काम करते देखा था मैं उस समय मीना के घर के अंदर ही था। मेरे सामने ही पाचों लोगों ने मीना के साथ बुरा काम किया। प्रस्तुत मामले में परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० एवं पी०डब्लू० 1` रामासरे ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० में विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी के साथ बलात्कार किया जाना नहीं कहा है, परन्तु पी०डब्लू० 2 ने न सिर्फ यह किान किया है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी के साथ बलात्कार किया गया था अपितु उसके द्वारा यह भी कथन किया गया कि सभी लोगों ने उसके सामने ही मीना के साथ बलात्कार किया। स्पष्ट है कि पी०डब्लू० 2 सर्वजीत ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० में घटना के संबंध में बढ़ाचढ़ाकर कथन किये है इसलिये यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

होना प्रतीत नहीं होता है। जहां तक परिवादिनी मीना एवं पी०डब्लू० 1 रामासरे की साक्ष्य का संबंध है। इन दोनों की साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह मामला स्थापित होता है कि विपक्षीगण मीना देवी के घर में घुसे और उससे अश्लील हरकते की और उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां दी। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला धारा 354, 452 व 504 भा०दं०सं० तथा धारा 3(1)(x) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट का अपराध बनता है।जिसके विचारण के लिये अभियुक्तगण को तलब किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्तगण सरोज, जमुना, कृष्णपाल उर्फ विनोद पंडित एवं पतिराखन काछी के विरूद्ध धारा 354, 452, 504 भा०दं०सं० एवं 3(1)(x) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लेते हुए, उन्हें विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी एक सप्ताह के अंदर सूची गवाहान दाखिल करे। बाद पैरवी अभियुक्तगण को नियमानुसार समन निर्गत हो। पत्रावली दिनांक 27–02–2020 को वास्ते हाजिरी पेश हो।

(संजीव कुमार सिंह)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, हरदोई।